

क्रमांक 373/B/4B/08/स.सिं./31

प्रति,

भोपाल, दिनांक 04 /06/2008

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय:- रमोह जिले की शक्ति सागर तालाब योजना की प्रशासकीय एवं निवेश विकास की स्वीकृति ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती 209/प्र.अ./08 दिनांक 11-02-2008

---00---

शक्ति सागर तालाब योजना सहस्रोत एवं विकासखण्ड इटावा जिला रमोह की प्रशासकीय स्वीकृति रूपसे 712.80 लाख (रूपसे साठ सौ बत्स लाख अस्ती हजार) के प्रस्ताव पर रमोही विस्तीय सनिति की 41 वी बैठक दिनांक 24-04-2008 में प्रशासकीय स्वीकृति रूपसे 712.80 लाख तथा योजना पर व्यय करने के लिये निवेश निकासी की सहभात दिने जाने का निर्णय लिया गया ।

- (2) योजना से 506 हेक्टेपर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है ।
- (3) असाएवं राज्य शासन द्वारा योजना की प्रशासकीय एवं योजना पर व्यय की निवेश निकासी की स्वीकृति मांग संख्या 45 लेखारीर्ष 4702 लघु सिंचाई पर पूजा परिव्यय. भायोजना गैर आदिवासी नर के अन्तर्गत प्रदान की जाती है । यह योजना ए.आई. पी. की अन्तर्गत क्रियान्वित की जावे ।
- (4) योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं, जिनमें का संरक्षण अधिनियम 1980 में समाहित सभी स्वीकृतियाँ सम्मिलित है, को पूर्ण करने के परभाव ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शंकरलाल जैन)

अवर सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग